

# न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम(आरटीएस)

दिनांक 25.9.17

मि.न.25 / 17

सरकार बनाम शिवसिंह वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का संरुण्ड ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम सरुण्ड तहसील कोटपूतली के ख० न०601 रकबा 0.17 किस्म जमीन ,गै०मु० चाह मेंसे 0.01पर शिवसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी संरुण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने रूडी पत्थर डालकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नही आये । अत गैर सायलान के विरुद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है ।

अतः, शिवसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी संरुण्ड तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम संरुण्ड तहसील कोटपूतली के ख० न० 601 रकब0.17है०,मेंसे 0.01है०किस्म जमीन गै०मु०चाह पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से रूडी व पत्थरों को हटवाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.40का पचास गुणा2रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक25.9.17, को सरे इजलास सुनाया गया ।

दिनांक 25/9/17 018... के शा० ले० 4  
के पृष्ठ संख्या 35 पर 2017  
हयये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली

नायब तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)